कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलान बटार मार्ग,पालम, दिल्ली छावनी- 110010
Office of the Controller General of Defence Accounts,
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.-110010
फैक्स: - 25674806, दूरभाष: - 25665581, 25665745

प्रशासन - शिकायत

संख्या: संख्या: प्रशा./शिकायत सेल/ई-मेल/पत्राचार/2020 दिनांक: 03/07/2020

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक(निर्माणी)/प्रधान एकीकृत वित्त सलाहकार/ रक्षा लेखा नियंत्रक/ एकीकृत वित्त सलाहकार

विषय: आम जन से पत्राचार के संबंध में सरकारी नियमावली/ दिशानिर्देश - राजभाषा अधिनियम के बारे में|

उपरोक्त के संबंध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने दिनांक 29.05.2020 के फा. सं.के -11022/08/2020-(लो. शि. -नीति) (6581) द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये हैं: -

(क) सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से अनुरोध है कि शिकायतों का जवाब देते समय राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 6 के प्रावधानों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए| इसके अतिरिक्त यह बल दिया जाता है कि यदि शिकायत हिन्दी में दर्ज की जाती है, तो जबाव भी हिन्दी में ही दिया जाएगा|

(ख) इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि सीपीजीरैम्स में लोक शिकायत अधिकारी द्वारा अंतिम जबाव हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने की सुविधा है|

2. अत: सभी अधीनस्थ कार्यालयों से आग्रह है उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें|

3. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिनांक 29.05.2020 के फा. सं.के -11022/08/2020-(लो. शि. -नीति) (6581) की प्रति संगलन है|

वरिष्ठ संयुक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित|

(विनोद कुमार)
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.) एवं शिकायत अधिकारी

प्रतिलिपि -

सूचना प्रौधोगिकी एवं प्रणाली विंग: (स्थानीय) — आपसे आग्रह है कि परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(विनोद कुमार)
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.) एवं शिकायत अधिकारी

फा.सं.के-11022/08/2020-(लो.शि.-नीति) (6581)
भारत सरकार
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(लो.शि प्रभाग)

***

5वां तल, सरदार पटेल भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
दिनांक : 29 मई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आम जन से पत्राचार के संबंध में सरकारी नियमावली/ दिशानिर्देश - राजभाषा अधिनियम के बारे में।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत का जवाब अंग्रेजी में मिला है, हालांकि उसने अपनी शिकायत हिंदी में प्रस्तुत की है और वह अंग्रेजी समझने में सक्षम नहीं है।

अत: सभी मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों से अनुरोध है कि शिकायतों का जवाब देते समय राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 6 के प्रावधानों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त यह बल दिया जाता है कि यदि शिकायत हिंदी में दर्ज की जाती है, तो जबाव भी हिंदी में ही दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि सीपीजीरैम्स में लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा अंतिम जबाव हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने की सुविधा है।

प्रिस्का
29/5/20

[प्रिस्का मैथ्यू]
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23401429

प्रति

1. नोडल अधिकारी (पीजी), सभी मंत्रालय/ विभाग।
2. एनआईसी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को pgportal.gov.in पर अपलोड करने हेतु। 29/5/20